

(CNR No.UPKJ01-000867-2026)

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(वि०अधि०) कक्ष सं०-1, कन्नौज।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -353/2026

हरिनन्दन पुत्र बट्टीप्रसाद,

निवासी-पूराराय, थाना इन्दरगढ़, थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या-396/2021

धारा- 138 (1)B विद्युत अधिनियम

थाना-एन्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।

दिनांक 12.03.2026

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

1. आज पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त हरिनन्दन उपस्थित आया। उसकी ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-138 (1)B विद्युत अधिनियम अपराध संख्या- 396/2021 थाना-इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है।
2. अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में गलत तौर पर बिजली का बिल निकाल कर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उस पर बिजली बिल की कोई धनराशि बकाया नहीं है। वह सम्पूर्ण बिजली का बिल जमा कर चुका है। वह दिनांक 08.03.2026 से जिला जेल में निरुद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की जाये।
3. अभियोजन की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।
4. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र, उभय पक्ष के अभिकथनों तथा सम्बन्धित पत्रावली का समग्र परिशीलन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ।
5. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रस्तुत प्रकरण के गुणदोष पर अपनी राय व्यक्त किये बिना मैं जमानत का आधार पर्याप्त पाता हूं। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त हरिनन्दन द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पच्चीस हजार रुपये की एक जमानत तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(वि०अधि०), कक्ष सं०-1, कन्नौज।

J.O.CODEUP6489